PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Sunday 5th January 2014, Page: 10
Width: 10.29 cms, Height: 6.39 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-05.45.97

हाई कोर्ट ने एक कंपनी को दूसरी के ट्रेडमार्क इस्तेमाल से रोका

मुंबई, 4 जनवरी (भाषा)। बंबई हाई कोर्ट ने इनोवा कैप. टैब और उसकी सहयोगी कंपनियों को औषधीय और अन्य उत्पादों के विनिर्माण व मार्केटिंग में 'मोंटीनल' ट्रेडमार्क इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यह ट्रेडमार्क आरिस्टो फार्मास्युटिकल्स के नाम पंजीकृत है।

न्यायमूर्ति एसजे कथावला ने हाल में यह आदेश पारित किया। यह आदेश अरिस्टो फार्मास्युटिकल की ओर से इनोवा कैप टैब और अन्य के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में दायर मामले में दिया गया। न्यायधीश ने कहा कि इस मामले में पहली नजर में यह मामला वादी कंपनी के पक्ष में नजर आता है। तमाम सबूत भी उनके पक्ष में जाते हैं। इसलिए सुनवाई और मामले के अंतिम निपटान तक बचाव पक्ष को अरिस्टो फार्मास्युटिकल कंपनी के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया जाता है।